

31
49

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्रतीक्षार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 9, 1973/माघ 20, 1894
No. 30] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 9, 1973/MAGHA 20, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th February 1973

G.S.R. 55(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Central Sales Tax (Amendment) Act, 1972 (61 of 1972), the Central Government hereby appoints the 1st day of April, 1973 as the date on which the provisions of the said Act, other than those mentioned in the said sub-section, shall come into force.

[No. F. 28/30/72-ST-I]

वित्त मन्त्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 फरवरी, 1973

मा०का०वि० 55(घ):—केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) अधिनियम, 1972 (1972 का 61) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार अगस्त 1973 के प्रथम दिन को उस तारीख के रूप में एतद्वारा नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम के उपखण्ड, उक्त उपधारा में उल्लिखित को छोड़कर, प्रवृत्त होंगे।

[सं० 8/30/72-वि० क०-1]